भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
पाक्षिक समाचार

सम्पर्क

आज़ादी का अमृत महोत्सव

खण्ड–XXVII अंक–22 30 नवम्बर, 2022

धूम कुसंगति कारिख होई। लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई।।
सोइ जल अनल अनिल संघाता। होइ जलद जग जीवन दाता।।

कुसंग के कारण धुआँ कालिख कहलाता है, वही धुआँ (सुसंग से) सुन्दर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआँ जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है।

श्रीरामचरितमानस (बालकाण्ड)/6

स्वागत

स्थापना अनुभाग–II से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/Estt.-II/2022/95143 दिनांक 17.11.2022 के अनुसार **श्री दिनेश कुमार** ने 18.10.2022 से संस्थान में कनिष्ठ अधीक्षक के रूप में सातवें वेतन आयोग के लेवल–6 मे कार्यभार ग्रहण किया है।

सेवानिवृत्तियाँ

संस्थान के निम्नलिखित स्टाफ सदस्य अधिवर्षिता की आयु होने पर 30 नवम्बर, 2022 को अपराह्न में संस्थान से सेवानिवृत्त हो रहे हैं :–

श्री सुरेन्द्र सिंह (25663), कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक, स्थापना अनुभाग–2

श्री सुरेन्द्र सिंह ने 10 मई, 1985 को संस्थान में मैकेनिक 'सी' के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। 01 जून, 1993 को आर.सी.डी.एस. के अन्तर्गत आपको वरिष्ठ मैकेनिक के रूप में चयनित किया गया। 01 मई, 1998 को आर.सी.पी.एस. के अन्तर्गत मैकेनिक के रूप में मैप किया गया तथा 01 जून, 2005 को आपको इसी योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ मैकेनिक के रूप में पदोन्नत तथा कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक के रूप में पुनः पदनामित किया गया। 10 मई, 2017 को एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत आपको उन्नयन दिया गया। मृदृभाषी श्री सुरेन्द्र सिंह एक मेहनती एवं कर्मठ कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक रहे हैं।

श्री एम.एस. मुरली (26165), कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक, भौतिकी विभाग

श्री एम.एस. मुरली ने 11 मई, 1988 को संस्थान में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। 01 जून, 1996 को आर.सी.डी.एस. के अन्तर्गत आपको वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (एसजी) के रूप में चयनित किया गया। 01 मई, 1998 को आर.सी.पी.एस. के अन्तर्गत आपको कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक के रूप में पुनः पदनामित किया गया। 12 अक्टूबर, 2000 को आपको तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया। 01 सितम्बर, 2008 तथा 11 मई, 2018 को एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत आपको उन्नयन दिया गया।

आप 11 मई, 1988 को वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में भौतिकी विभाग में शामिल हुए। आपने वर्ष 1999 में ''सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार'' प्राप्त किया। आपको वर्ष 2008 में भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना और संचालन के लिए आईआईटी रोपड़ में प्रतिनियुक्त किया गया। आपने अगस्त 2008 में ''विशेष उत्कृष्ट कर्मचारी'' पुरस्कार व 26 जनवरी, 2013 को ''उत्कृष्ट स्पोर्ट्समैन'' पुरस्कार प्राप्त किया। सौम्य एवं मृदु स्वभाव के श्री एम.एस. मुरली एक मेहनती एवं कर्मठ कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक रहे हैं।

श्री बलवान सिंह (70073), हेल्पर, निर्माण संगठन

श्री बलवान सिंह ने 31 मार्च, 1989 को संस्थान में ग्रुप 'डी' के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। 01 अप्रैल, 1994 को आर.सी.डी.एस. के अन्तर्गत आपको 2550-3200/-रु. के वेतनमान में फिटमेन्ट दिया गया। 01 अप्रैल, 2004 को आपको एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत 3050-4590/-रु. के वेतनमान में उन्नयन तथा इसी योजना के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 2014 में आपको उन्नयन दिया गया। मृदुभाषी श्री बलवान सिंह एक योग्य एवं कर्मठ हेल्पर रहे हैं।

श्रीमती कमला (60181), मसालची सह कुक हेल्पर, नीलगिरी छात्रावास

श्रीमती कमला ने 1 मार्च, 2008 को संस्थान छात्रावास में मसालची के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। आपने 15 वर्ष तक छात्रावास में अपने सेवाएं प्रदान की। श्रीमती कमला एक योग्य, कर्मठ एवं मेहनती मसालची/सह कुक हेल्पर रही हैं।

संस्थान समुदाय उपरोक्त स्टाफ सदस्यों को भावभीनी विदाई देते हुए उनके एवं उनके परिवार के लिए सुख, समृद्धि एवं शांतिमय जीवन की कामना करता है।

श्री गोपी कीर्तन महिला मण्डल (रजि.)

आईआईटी परिसर, हौज खास, नई दिल्ली–110016

श्री गोपी कीर्तन महिला मंडल के सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार आम सभा की बैठक दिनांक 19.11.2022 को सपन्न हुई जिसमें निम्नलिखित नयी कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन किया गया।

श्रीमती अंजू खट्टर	–	प्रधान
श्रीमती निर्मला देवी	–	उप–प्रधान
श्रीमती नीलम तोमर	–	सचिव
सह–सचिव	–	पदेन
श्रीमती यशोदा रानी	–	कोषाध्यक्ष
श्रीमती तान्या बुंदेला	–	लेखा–परीक्षक

कार्यकारिणी के सदस्यः–श्रीमती अर्चना सिंघल, श्रीमती अनीता नेगी, श्रीमती जीवन लता, श्रीमती चंदा, श्रीमती निधि त्रिपाठी, श्रीमती बृजेश दहिया, श्रीमती सौम्य गुप्ता, श्रीमती रश्मि कुंडू, श्रीमती ललिता सिंह, श्रीमती आशा सैनी, श्रीमती मीना, श्रीमती संध्या. कुमारी ममता वालिया।

स्थाई रूप से आमंत्रित सदस्यः–श्रीमती निर्मल, श्रीमती पूनम शर्मा, श्रीमती वीना, श्रीमती किरन, श्रीमती अर्चना सेकवाल, श्रीमती रिंकू मिश्रा, श्रीमती सुदेश, श्रीमती सुषमा शर्मा, श्रीमती कविता शर्मा, श्रीमती पूजा शर्मा, श्रीमती उषा शर्मा, श्रीमती रश्मि टेवतिया, श्रीमती गायत्री, श्रीमती आरती, श्रीमती गीता, श्रीमती प्रमोद।

विशेष रूप से वरिष्ठ आमंत्रित सदस्यः–श्रीमती धर्मवती तिवारी, श्रीमती राज कौशिक, श्रीमती मंगो देवी, श्रीमती पद्मा शर्मा, श्रीमती रेखा सक्सेना, श्रीमती शकुंतला देवी , श्रीमती सुषमा देवी, श्रीमती कुसुमलता गुप्ता, श्रीमती शशि वर्मा, श्रीमती चंद्रमुखी शर्मा, श्रीमती रूपवती, श्रीमती गायत्री दुवे, श्रीमती सावित्री, श्रीमती राधा शर्मा, श्रीमती सुधा रावत, श्रीमती सरोज, श्रीमती सुशीला कुकरेती, श्रीमती लज्जावती चौरसिया, श्रीमती कमला, श्रीमती भागीरथी देवी, श्रीमती ओमवती, श्रीमती शांति देवी।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं भाषा

सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान के अन्य विषयों की तरह एक विषय है। इसे हम संक्षेप में बोलचाल मे प्रायः आई.टी. के नाम से जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस वैज्ञानिक विषय का दायरा इतना अधिक बढ़ चुका है कि हमारा सारा जीवन किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित है। आज हमें सर्वत्र 'सूचना प्रौद्योगिकी' का शोर सुनाई देता है। अतः इसे सूचना क्रांति का नाम भी दिया गया है। इन्टरनेट आज प्रायः सूचना प्रौद्योगिकी का पर्याय बन गया है। जन–संचार के माध्यम भी सूचना प्रौद्योगिकी के ही प्रतिनिधि हैं। इस विचार से वैसे तो सूचना प्रौद्योगिकी के दो ही घटक हैं सूचना (Information) और प्रौद्योगिकी (Technology) लेकिन भारत के संदर्भ में इसका तीसरा घटक भी है–'भाषा'। जैसा कि प्रो. सूरजभान कहते हैं कि 'जिन देशों की मातृभाषा अंग्रेजी है, उनके लिए भाषा का घटक महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ अंग्रेजी समझने वालों की संख्या केवल पाँच प्रतिशत है और जहाँ कम से कम 22 प्रमुख मान्यता प्राप्त भाषायें हैं, भाषा का घटक कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हो जाता है'। ऐसे विशाल समुदाय के लिए उन्हीं की भाषा में सूचना उपलब्ध कराना अपने में एक काफी बड़ा दायित्व है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सूचना से तात्पर्य उस तथ्य या सामग्री से है, जो हमें इन्टरनेट या वेब के माध्यम से प्राप्त होती है।

कम्प्यूटर, मोबाइल फोन और टेलिविजन आदि भी सूचना इन्हीं के माध्यम से ही लेते–देते हैं।

मौटे तौर पर इंटरनेट से प्राप्त सूचनाओं को दो प्रकार से समझा जा सकता है–सामान्य सूचना और ज्ञानात्मक सूचना। सामान्य सूचनाएँ प्रायः ऐसी होती हैं जिनका महत्व तात्कालिक होता है। जैसे-सामाजिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक, व्यावसायिक व्यापारिक या वाणिज्यिक सूचनाएँ। इनसे अलग ज्ञानात्मक सूचनाओं का संबंध ज्ञान–विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से होता है। ऐसी सूचनाएं सामान्य सूचनाओं की तुलना में अधिक स्थाई होती हैं। इनका उपयोग हम संदर्भ ग्रंथों की तरह कर सकते हैं। जैसे–ज्ञान–विज्ञान विषयक जानकारी, शब्दकोश, विश्वकोश, थिसॉरस, साहित्य संस्कृति, कला, इतिहास, भूगोल आदि ।

प्रौद्योगिकी (Technology) से तात्पर्य उन तकनीकी उपकरणों से है, जो दृश्य–श्रव्य रूप में सूचना को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने के माध्यम का कार्य करते हैं। इनमें कम्प्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, सेटेलाइट, वीडियो कैमरा, आदि उपकरण शामिल हैं। आज इस टेक्नोलॉजी का विकास बहुत अधिक हो रहा है और दो से अधिक प्रौद्योगिकी इकाइयों को जोड़कर एक करने का प्रयास भी किया जा रहा है, इसके फलस्वरूप कई नई सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं। उदाहरण के लिए, इंटरनेट को सीधा टेलीविजन के पर्दे पर देखना संभव हो रहा है।

'भाषा'–सूचना प्रौद्योगिकी का तीसरा किंतु भारत की दृष्टि से मुख्य घटक हैं। इसे सूचना–प्रौद्योगिकी का 'मुख पृष्ठ' तक कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सहायता से ही सूचनाएँ तैयार की जाती हैं तथा भेजी जाती हैं और प्रयोक्ता पर्दे पर अंकित सूचना को इसी के जरिए ही ग्रहण करता है। यदि कोई प्रयोक्ता भाषा को नहीं जानता, निरक्षर है तो वह सूचना प्रौद्योगिकी का पूरी तरह लाभ नहीं उठा सकता। आज इंटरनेट पर लगभग 80% सामग्री अंग्रेजी में उपलब्ध है। इसलिए अंग्रेजी भाषा–भाषी देशों के प्रयोक्ताओं को कोई कठिनाई नहीं होती। यह समस्या उन देशों की होती है जहाँ का भाषा समाज अंग्रेजी नहीं जानता और अपनी–अपनी स्थानीय भाषाओं का ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भारत के

संदर्भ में यह आवश्यक है कि इंटरनेट की तथ्य सामग्री लोगों तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से पहुंचे।

इस संबंध में दो समाधानों का प्रायः जिक्र किया जाता है भाषा का स्थानीकरण और प्रौद्योगिकी का विस्तारीकरण। स्थानीकरण से तात्पर्य है कि, इंटरनेट की कथ्य सामग्री को प्रयोक्ताओं को स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत करना। इसके फलस्वरूप इंटरनेट में प्रदर्शित सभी सूचना सामग्री भी हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक भारतीय प्रयोक्ता इसे समझ सकें। इस विशाल सामग्री को भारतीय भाषाओं में लाने के लिए अनुवाद का सहारा लिया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के 'विस्तारण' से तात्पर्य है कम्प्यूटर इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी के तकनीकी उपकरणों को दूरस्थ स्थानों, गाँवों, कस्बों तथा शहरों में सस्ते दामों पर मुहैया कराना।

सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को सामाजिक विकास तथा जन कल्याण के उद्देश्यों के साथ जोड़कर भलीभांति समझा जा सकता है। सूचना क्रांति के इस युग में सूचना अंतर्संबंधों की व्याख्या, शिक्षा एवं विकास के साथ ही मनोरंजन के नये आयाम सामने आए हैं। कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज जो नया ज्ञान विस्फोट हुआ है वह भाषा में भी एक मौन क्रांति का वाहक बनकर आया है। फलस्वरूप आज भाषा के कलेवर और उसकी आंतरिक क्षमता में भी एक विस्फोट की स्थिति पैदा हो चुकी है। भाषा के क्षेत्र में यह सारा परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है कि हम उसका ऐतिहासिक आकलन करने में असमर्थ हैं। अभी तक भाषा को मनुष्य की आवश्यकताओं को ही पूरा करना पड़ता था, लेकिन आज भाषा को न केवल मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, बल्कि मशीन और कम्प्यूटर की नित नई भाषाई माँगो को भी पूरा करना पड़ रहा है। अतः कम्प्यूटर टैक्नोलॉजी की नई भूमिकाओं के निर्वाह के लिए भाषा वैज्ञानिक भाषा प्रयोगों की असीम संभावनाओं को एक बार फिर से टटोल रहे है और भाषा की प्रकृति और स्वरूप पर पुर्नचिंतन कर भाषा की नई गहराइयों का पता लगा रहे हैं।

—डॉ. नीरज चौरसिया

प्रशासनिक अधिकारियों के दैनिक सरकारी कामकाज में सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली संक्षिप्त आदेशात्मक टिप्पणियाँ
(Brief important notings being used by Administrative Officers in their daily routine official work)

अंग्रेजी	हिन्दी
Action may be taken as proposed.	यथाप्रस्तावित कार्रवाई की जाए
All concerned should note carefully.	सभी संबंधित व्यक्ति इसे ध्यान से नोट कर लें।
Application is rejected.	प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किया जाता है।
Approved.	अनुमोदित।
Approved as a very special case. This should not, however be Quoted as a precedent.	एक विशेष मामला मानते हुए अनुमोदित किया जाता है किन्तु आगे उदाहरण के रूप में इसका उल्लेख न किया जाए।
Wait further report.	आगे और विवरण की प्रतीक्षा कीजिए।
Await reply.	उत्तर की प्रतीक्षा करें।
Do the needful.	आवश्यक कार्रवाई करें।
Draft is concurred in.	प्रारूप पर सहमति दी जा रही है।
Draft may not be issued.	अब प्रारूप जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
Draft reply on the lines suggested above may be Put up.	उपरोक्त सुझावों के आधार पर उत्तर का मसौदा तैयार कीजिए।
Enquire into the case and report early.	मामले की जांच करें और शीघ्र रिपोर्ट दें।

अंग्रेजी	हिन्दी
Enquiry be completed and its report submitted at an Early date.	जांच पूरी की जाए और रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत की जाए।
Explanation may be called for.	स्पष्टीकरण मांगा जाए।
Fix a date for meeting.	बैठक के लिए तारीख नियत करें।
Give top priority to this work.	इस कार्य को परम अग्रता दें।
I agree.	मैं सहमत हूं।
I agree with 'A' above.	मैं उपर्युक्त 'क' से सहमत हूं।
I disagree.	मैं सहमत नहीं हूं।
I fully agree with office note.	मैं कार्यालय की टिप्पणी से पूर्णतया सहमत हूं।
Inform accordingly.	तदनुसार सूचित किया जाए।
Issue as amended.	यथासंशोधित जारी किया जाए।
Issue reminder urgently.	तुरन्त अनुस्मारक भेजिए।
Issue today.	आज ही भेज दिया जाए।
Issue warning.	चेतावनी दी जाए।

आजादी का अमृत महोत्सव

स्वभाषा और सुभाषा

प्रसिद्ध विचारक और राजनीतिज्ञ दीनदयाल उपाध्याय अनेक वर्षों तक अंग्रेजी साप्ताहिक 'आर्गेनाइजर' में 'पोलिटिकल डायरी' नामक स्तंभ के अंतर्गत तत्कालीन राजनीतिक.आर्थिक घटनाक्रम पर गंभीर विवेचनात्मक टिप्पणियां लिखते रहे। पढ़िए हिंदी के महत्व व अंग्रेजी की कूटनीतियों पर प्रकाश डालता उनका आलेख....

यह सच है कि अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेगी। वह स्थान किसी भी अन्य भारतीय भाषा को दिया जा सकता है, किंतु सुस्पष्ट कारणों से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उपयुक्त माध्यम माना गया। वस्तुतः संविधान स्वीकृत होने के बहुत पहले से ही उसे यह स्थान प्राप्त था। संस्कृत यदि विद्वानों और भद्रपुरुषों की संपर्क भाषा थी, तो सामान्य लोगों की संपर्क भाषा हिंदी थी।

हमारे सुदीर्घ स्वातंत्र्य संघर्ष काल में हिंदी अंतर संपर्क का स्वाभाविक माध्यम थी। भूषण ने छत्रपति शिवाजी पर हिंदी में काव्य–रचना की। 1857 में अंग्रेजों को भगा देने की योजना हिंदी के माध्यम से बनी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के माध्यम से ही राष्ट्र का तेजस्वितापूर्ण आह्वान किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध शांतिपूर्ण विद्रोह के निमित्त सन्नद्ध करने की दृष्टि से जनता को उत्साहित करने के लिए हिंदी को ही उचित माध्यम माना।

यदि संविधान में हिंदी को परंपरागत रूप से सुप्रचलित नाम 'राष्ट्रभाषा' के बदले 'राजभाषा' नाम दिया गया तो उसका उद्देश्य अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में केवल कुशंकाएं दूर करना ही था और यह प्रकट करना भी था कि वे सब भी समान रूप से राष्ट्रीय हैं। राष्ट्रीयता एक गुणप्रधान कल्पना है, परिणामप्रधान नहीं। भू–क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के आदर्श पर चलने वालों के लिए इसका गूढ़ार्थ कठिन होगा। ऐसे लोग यह भी नहीं समझ सकते कि भाषाविषयक एवं अन्य प्रसंगों में मंद एकरूपता थोपे बिना भी राष्ट्रीय एकता कैसे अक्षुण्ण रखी जा सकती है। फिर भी, सांविधानिक अभिव्यक्ति ने लोगों को भ्रमित किया है और इस कारण वे यह अनुभव करते हैं कि यदि कोई हिंदी का विरोध करता है और अंग्रेजी की वकालत करता है तो इससे उसकी राष्ट्रीयता की भावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी दृष्टि से सरकारी कार्य जागतिक विषय हैं, वे किसी भी भाषा में किए जा सकते हैं और इसमें हानि ही क्या है यदि अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहे। इसके परिणामस्वरूप भाषा के प्रश्न के प्रति उदासीनता की मनोवृत्ति पैदा हुई है। व्यावहारिक कारणों से जो समझौतामूलक कार्यवाही हुई, उससे भी अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को लाने का उत्साह ठंडा पड़ा। यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि अंग्रेजी हटेगी तो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना को संतुष्ट करने के लिए। इसलिए अंग्रेजी के गुणों और लोगों की रट लगाने से कोई लाभ नहीं है। हम अंग्रेजी शासन को नहीं रख सकते थे, चाहे उससे जो लाभ रहे हों। हमारे स्वातंत्र्य संग्राम के प्रारंभिक दिनों में ब्रिटिश समर्थक तत्वों को हमारा यह सामान्य उत्तर होता था कि स्वराज्य की प्यास को 'सुराज्य' से नहीं बुझाया जा सकता। आज भी 'स्वभाषा' की आवश्यकता की पूर्ति 'सुभाषा' से नहीं हो सकती।

अब फ्रैंक एंथोनी के तर्क का एक बार फिर उल्लेख करता हूँ। क्या अंग्रेजी अपनी भाषा है ? यह उनका मत है। पहली बात तो यह कि गत 150 वर्ष से इसके प्रयुक्त होते रहने के कारण यह हमारे राष्ट्रजीवन का अंग बन गई है। जीवन के हर क्षेत्र के नेता अंग्रेजी के माध्यम से प्राप्त सिद्धांतों को साकार करने का प्रयास करते आ रहे हैं। हमारा चिंतन अंग्रेजी में चलता है। मूल्यों के बारे में हमारे निष्कर्ष अंग्रेजी से प्राप्त होते हैं। स्थिति के बारे में फ्रैंक ऐंथोनी का अध्ययन सही है, पर इससे अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं बन जाती।

यदि हमारे राष्ट्रीय जीवन का आयोजन और मार्गदर्शन अंग्रेजी में निहित आदर्शों के अनुसार होता है। तो यह हमारी मानसिक दासता का चिह्न है। जितने शीघ्र हम इससे मुक्ति पा लें, उतना ही अच्छा। इन आदर्शों का पालन और उन्नयन कर हम राष्ट्राभिमान नहीं पैदा कर सकते। हम पाश्चात्यों के मार्गों और पद्धतियों का अनुसरण कर केवल उनका मर्कटानुकरण कर सकते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं प्रकट कर सकते। जब तक अंग्रेजी चलती रहती है, तब तक हम अपने सांस्कृतिक पुनरुद्धार की जीवनदायिनी मुक्त वायु में सांस नहीं ले सकते। आधुनिक विज्ञानी ज्ञान सीधे प्राप्त न कर सकने का जोखिम उठाकर भी हमें विदेशी भाषा के चंगुल से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिम की नकल करके हम विश्व को जो कुछ दे सकते हैं, उससे कई गुना अधिक मूल्यवान योगदान हम अपनी भाषाओं के द्वारा दे सकते हैं।

फ्रैंक ऐंथोनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में अंग्रेजी को अष्टम अनुसूची में एक भारतीय भाषा के रूप में सम्मिलित करने के लिए कहा गया है। उनके समर्थक कहते हैं कि उनके प्रस्ताव के कारण हिंदी या अन्य भाषाओं के बारे में सांविधानिक व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह तो केवल जनता को भ्रम में डालने के लिए एक तर्क है। यदि अंग्रेजी की आठवीं अनुसूची में संशोधन करके भारतीय भाषा के रूप में मान्य किया जा सकता है तो किसी दिन अंग्रेजी को ही भारत और राज्यों की एकमात्र सरकारी भाषा बनाए रखने का तर्क भी इसी आधार पर प्रस्तुत किया जाने लगेगा। यद्यपि कुछ प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को अपनाए रखा सकता है, तथापि अंग्रेजी हिंदी के विकास के आधार के रूप में अन्य भाषाओं की भांति सहायक नहीं बन सकती। हिंदी की स्वाभाविक प्रतिभा में बाधा डाले बिना अंग्रेजी शब्दों को हिंदी के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता। हम अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों को नहीं अपना सकते, क्योंकि वे अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं।

साभार–दैनिक जागरण
दिनांक- 25 सितंबर, 2022

हिन्दी कक्ष द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित दूरभाषः EPABX 7144

मुद्रकः सागर प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, नई दिल्ली। ई–मेलः sagarprinters@gmail.com